राजस्व पुनरीक्षण क्रं. :

प्रस्तुति दिनांक : 21/2/14

रा.रा. श्रीमान अध्यक्ष महोदय, राजस्व मण्डल, ग्वालियर, खण्डपीठ इन्दौर (म.प्र.) के समक्ष

R-772-PBR/14

श्री [illegible] प्रार्थी/अभिभाषक द्वारा दिनांक 21/2/2014 को प्रस्तुत

1. कालूसिंह पिता श्री मदनसिंह
2. इंदरसिंह पिता श्री मदनसिंह
3. चंदनसिंह पिता मदनसिंह
4. जगदीश पिता बाबूलाल मिस्त्री
5. मानसिंह पिता दयाराम
6. सेवसिंह पिता मानसिंह

सभी निवासी : ग्राम रंगवासा, तह. व जिला इन्दौर —— प्रार्थीगण

विरूद्ध

1. धापूबाई पति मदनलाल राठौड़
2. अशोक पिता मदनलाल राठौड़
3. कैलाश पिता मदनलाल राठौड़
4. शिवनारायण पिता मदनलाल राठौड़

सभी निवासी : ग्राम रंगवासा, तह. व जिला इन्दौर —— प्रतिप्रार्थीगण

पुनरीक्षण अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा. संहिता

सदर पुनरीक्षण प्रार्थीगण उक्त प्रतिप्रार्थीगण के विरूद्ध माननीय अधिनस्थ न्यायालय श्रीमान अपर तहसीलदार महोदय, तहसील व जिला इन्दौर द्वारा राजस्व प्रकरण क्रं. 1/अ/70/2013–14 में दिनांक 28–12–2013 को पारित आदेश से दुःखी व असंतुष्ट होकर यह पुनरीक्षण निम्न तथ्यों व आधारों पर प्रस्तुत करते है।

पक्षकारों एवं अभिभाषक आदि के हस्ताक्षर

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निग 772–पीबीआर/14 जिला इंदौर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
21–1–2015	आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । अपर तहसीलदार के आदेश दिनांक 28–12–2014 की सत्य प्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । अपर तहसीलदार के आदेश को देखने से स्पष्ट है कि अपर तहसीलदार के समक्ष म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 250 के अंतर्गत प्रकरण प्रचलित है । आवेदकगण की ओर से अपर तहसीलदार के समक्ष व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश–7 नियम 11 के अंतर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जाकर सीमाकंन के संबंध में आपत्ति प्रस्तुत की गई है । इस संबंध में अपर तहसीलदार द्वारा निकाला गया निष्कर्ष प्रथम दृष्टया विधिसंगत है कि आवेदकगण को यदि सीमाकंन में आपत्ति थी तब उन्हैं सीमाकंन को वरिष्ठ न्यायालय में चुनौती देना थी, परन्तु उनके द्वारा उक्त कार्यवाही नहीं की गई है, इससे सिद्ध होता है कि सीमाकंन विधिवत किया गया है । आवेदकगण द्वारा उक्त आवेदन पत्र प्रकरण को लंबित रखने की नियत से प्रस्तुत किया गया है । उपरोक्त निष्कर्ष के परिप्रेक्ष्य में अपर तहसीलदार द्वारा आवेदकगण का आवेदन पत्र निरस्त करने में किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता	

कार्यालयीन/ शासकीय

R 772 PBR/14 (23.5)

अथवा अनियमितता नहीं की गई है, क्योंकि विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि संहिता की धारा 250 के प्रकरण में सीमाकंन की वैधता पर विचार नहीं किया जा सकता है । अतः यह निगरानी प्रथम दृष्टया आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है ।

(स्वदीप सिंह)
अध्यक्ष